



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुवाभन सिटी, (नागौर)
जिला - नागौर
जाति प्रमाण - पत्र



कसबा नं. RJ/2017/राजस्थान विभाग, जाति का प्रमाण-पत्र (राजा/राज/रा.) / 170063214490
दिनांक: 03-10-2017
आवेदक का आधार नम्बर: 334626119114
आवेदक/परिवार के मुखिया का आधार नम्बर: 9990-CTSW-00210

प्रमाणित किया जाता है कि श्री केलाश पुत्र/पत्नी/पत्नी श्री देवा राम गांव/नगर पांचवा कुवाभन सिटी, वार्ड नं - 3, कुवाभन सिटी, नागौर जिला/दिवीजन नागौर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 46 MEGHVAL (46 मेघवाल) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मुखिया (संशोधन) आदेश 1956, कार्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जनसंख्या पुनर्गठन अधिनियम 1960, हस्ताक्षर प्रदान राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (जनसंख्या) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (नागौर काशी) अनुसूचित जाति आदेश 1950, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (जयपुर तथा जयपुरी) अनुसूचित जाति आदेश 1959, संविधान (राजस्थान) अनुसूचित जाति आदेश 1954, संविधान (राजस्थान) तथा नागौर जयपुरी अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (राजस्थान) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीऊ) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागौर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970

श्री केलाश गांव/नगर पांचवा कुवाभन सिटी, वार्ड नं - 3, कुवाभन सिटी, नागौर जिला / दिवीजन नागौर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यह प्रमाण-पत्र सिविली का अर्थ नहीं होगा जो कि प्रतिनिधित्व 1930 की भाषा 10 में है।
2. राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य अधिरक्षित विभाग की अधिवृत्त सहायक (21/37) एच.ए.ई. कम्प्यू.ई.सी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2016 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र सिविली का अर्थ नहीं होगा जो कि प्रतिनिधित्व 1930 की भाषा 10 में है। हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
4. जारी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित हस्ताक्षरों के सम्बंधित प्रमाण-पत्रों के द्वारा सिविली विभाग के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा के सम्बन्ध में निम्नलिखित/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. जारी हो जाये किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन नम्बर: 170063323734

उपखण्ड अधिकारी, कुवाभन सिटी, (नागौर)

Signature valid

Digitally signed by
RAMSUKH GLUJUR
Date: 2017.10.03 16:09:21
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



170063323734